Panchayati Raj

उत्तराखण्ड शासन

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

ग्राम बदलाव योजना

ग्रामसभा

ग्राम पंचायत विकास योजना

मार्गदर्शिका

पंचायत राज विभाग

(उत्तराखण्ड)

मार्गदर्शिका

पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आलोक में ग्राम पंचायतों को समस्त स्रोतों से प्राप्त संसाधनों के सदुपयोग हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 15–क के अनुसार ग्राम पंचायत प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी, जिस हेतु धारा 41 एवं नियम 219 में वार्षिक आय–व्यय का अनुमान (बजट) तैयार किये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना नाम दिया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य की ग्राम पंचायतों में सहभागी नियोजन एवं जन सहभागिता के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों से व्यापक एवं समेकित ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्रॉफ्ट प्लान तैयार किया जायेगा। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्राम पंचायतों में बढ़े हुए संसाधन हस्तान्तरण के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पंचायतें मूलभूत सेवाएं प्रदान करने में एक जवाबदेह एवं सक्षम स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य क्षमता विकसित करें। डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना में समुदाय, विशेषकर ग्राम सभा की भागीदारी एवं सक्रियता सुनिश्चित की जायेगी, ताकि सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। इस योजना हेतु नोडल विभाग पंचायतीराज विभाग होगा। जिन ग्राम पंचायतों में सांसद आदर्श ग्राम योजना तथा मनरेगा के अन्तर्गत आई.पी.पी.ई. की भावी योजना पृथक से बनाई गयी हो, ऐसे प्लान को इस योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतें वार्षिक एवं दीर्घकालिक (पंचवर्षीय भावी योजना) योजना बनाकर विभिन्न गतिविधियों को अपने ड्राफ्ट प्लान रखेगी। डॉ. ए. पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के ड्रॉफ्ट प्लान निर्माण हेतु निम्न प्रक्रिया का निर्धारण किया जायेगा–

1– ग्राम पंचायत के संसाधनों का निर्धारण–

डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के निर्धारण में संसाधनों (रिसोर्स एनवलप) की महति भूमिका रहेगी, जिसको ससमय जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। वार्षिक ड्रॉफ्ट प्लान के आकार एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ग्राम पंचायतें अभिसरण के माध्यम से कार्य करा सकेंगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय संसाधन निम्नानुसार होंगे –

केन्द्र पोषित–

- 14वाँ वित्त आयोग।
- राज्य वित्त आयोग।
- मनरेगा।
- स्वच्छ भारत मिशन।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
- सर्व शिक्षा अभियान।
- एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लु0एम0पी0)
- जलागम।
- प्रधानमंत्री सिंचाई विकास योजना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (इंदिरा आवास योजना)।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
- सीमान्त क्षेत्र विकास योजना।
- राष्ट्रीय उधानीकरण मिशन।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन
- अन्य स्रोत/योजना।

राज्य पोषित:-

- एकल पेयजल योजना।
- लघु सिंचाई विभाग की योजना।
- अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना।
- पिछड़ा क्षेत्र विकास विभाग की योजनाएं।
- मेरा गॉव मेरी सड़क योजना।
- चारागाह विकास योजना।
- ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना।
- ग्रामीण तालाब योजना।
- महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त निधि।
- अन्य स्रोत/योजना।

अन्य:-

- सांसद निधि
- विधायक निधि।
- ऐसी स्कीमें, जिनके लिए ग्राम पंचायतों को निधि हस्तांतरित नही किये जाने के बावजूद भी निर्णय लेना है।
- ग्राम पंचायत के स्वयं के राजस्व के स्रोत।
- दान एवं स्वैच्छिक सहयोग।
- सी0एस0आर0 (कारपोरेट सामाजिक दायित्व)

मानव संसाधन के अन्तर्गत औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक, ए0एन0एम0/आशा, आँगनबाड़ी कार्यकत्री, अध्यापक, पटवारी, सींचपाल, वन रक्षक, अवर अभियंता आदि होंगे। इसी प्रकार अनौपचारिक मानव संसाधन में अभिभावक– अध्यापक संघ, स्वयं सहायता समूह विशेष कर एन0आर0एल0एम मानव संसाधन, सेवा निवृत कार्मिक/अधिकारी, भूतपूर्व पंचायत प्रतिनिधि, युवक/महिला मंगल दल, ग्रामीण संस्थाएं एवं समितियां, गैर सरकारी संस्थाएं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इत्यादि सम्मिलित हो सकेंगे। ग्राम स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग विकेन्द्रीकृत ग्रामीण नियोजन प्रक्रिया में किया जायेगा।

सेवा/संसाधनों का अभिसरण – डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में निम्नानुसार सेवाओं/संसाधनों का अभिसरण किया जायेगा–

(क) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत पंचायतें सामुदायिक अवसंरचनाएं, पंचायत घर निर्माण, आजीविका हेतु परिसम्पत्ति सृजन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन, स्थानीय आर्थिक विकास जिसमें रोजगार एवं परिसम्पत्ति सृजन पर कार्य कर सकेंगी।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट निपटान पर कार्य किये जायेंगे तथा 14वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतें ठोस एवं तरल अपशिष्ट निपटान कार्य पर अभिसरण कर सकेगी।

(ग) 14वें वित्त आयोग से आधारभूत नागरिक सेवाओं यथा जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सेप्टैज प्रबन्धन, स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीटलाईट तथा कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रख–रखाव पर कार्य किये जा सकेंगे। साथ ही ग्राम पंचायत में आय सृजन हेतु स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों जैसे हॉट बाजार, गोदाम/भण्डार गृह का निर्माण तथा पंचायत राज अधिनियम में अनुमन्य कार्य किये जा सकेंगे।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन–सहभागितापूर्ण विधि से गरीबों की पहचान (PIP-Participatory Identification of poor) कर बनाये गये महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्धन एवं अशक्त परिवारों की नियोजन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी। उक्त समूह विकास खण्ड में ग्राम पंचायतों पर गठित तकनीकी सहायता समूह के सदस्य के रूप में भी कार्य कर सकेंगे।

14वें वित्त से प्राप्त होने वाली धनराशि– 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को आगामी 5 वर्ष में निम्न तालिकानुसार धनराशि प्राप्त होगी:–

राशिः करोड़ में

क्र.सं.	मद का नाम	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2015–20
1	मूल अनुदान	203.26	281.45	325.19	376.19	508.31	1694.42
2	निष्पादन अनुदान	–	36.92	41.78	47.45	62.13	188.27

2– सहभागी नियोजन के लिए वातावरण निर्माण–

डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर जन सहभागिता, सक्रियता एवं बृहद स्तर पर जन–जागरूकता महत्वपूर्ण घटक होंगे। राज्य स्तर पर सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना को "डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" नाम दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त ग्राम प्रधानों को योजना के कियान्वयन के संबध में पत्र प्रेषण जिसमें डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना की उपयोगिता के विषय में जागरूक कराते हुए 14 वें वित्त आयोग का आवंटन भी ग्राम पंचायतों में संसूचित किया गया। राज्य सरकार ग्राम नियोजन प्रक्रिया में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के निवर्हन हेतु राज्य के औद्योगिक घरानों से अपील करेगी। पंचायतीराज विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन द्वारा ग्रामीण नियोजन प्रक्रिया से जुड़े गैर सरकारी सगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, लोक संस्थायें, पेशेवरों, शैक्षणिक शोध संस्थानों के विशेषज्ञों, भूतपूर्व पंचायत प्रतिनिधियों आदि से ग्राम नियोजन प्रक्रिया में जुड़कर अपनी सक्रिय भागीदारी करने की अपील की जायेगी। निदेशक पंचायती राज द्वारा मीडिया प्लान तैयार किया जायेगा, जिसमें एफ.एम. रेडियो, स्थानीय आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्थानीय केबल ऑपरेटरों, प्रिंट मीडिया / विज्ञापनों, सिनेमाहॉल, सोशल मीडिया तथा वेब मीडिया के माध्यम से योजना को अभियान का रूप देकर प्रचार–प्रसार किया जायेगा। साथ ही राज्य स्तर पर अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन करते हुए हित धारकों (स्टेक होल्डर्स) का क्षमता विकास किया जायेगा। योजना के सफल संचालन हेतु आई0ई0सी0 सामग्री, विशेषकर पोस्टर, ब्राउशर, पैम्पलेट्स आदि को निदेशालय पंचातयीराज द्वारा एजेंसी / उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान एवं पंचायती राज संस्थान, रूद्रपुर के माध्यम से तैयार किया जायेगा।

जनपद स्तर पर ग्राम नियोजन से जुड़े जनपद स्तरीय अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों, मीडिया, गैर सरकारी संगठन, विषय विशेषज्ञों इत्यादि के साथ कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी सूचना विभाग के माध्यम से जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में योजना के सफल संचालन हेतु जनपद का मीडिया प्लान तैयार करवाएंगे। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक स्तरीय अधिकारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर निम्न अपेक्षित गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी :–

(1) प्रभात फेरी / रैली का आयोजन,
(2) दीवार लेखन– बजट / स्लोगन / पोस्टर,
(3) स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक नाटंक / गीत / नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्राम नियोजन पर चर्चा,
(4) गणमान्य ग्रामीणों, विभिन्न ग्राम समितियों, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला / युवक मंगल दल, समुदाय आधारित संगठन, व्यावसायिक समूह, स्थानीय संगठन, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य व ग्राम स्तरीय कार्मिकों के साथ बैठक,
(5) महत्वपूर्ण संस्थाओं यथा पंचायत घर, विद्यालय, आँगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण।

3– क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण–

नियोजन हेतु क्षमता विकास के लिए राज्य संसाधन समूह का गठन किया जायेगा, जिसकी नोडल ऐजेन्सी उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, रूद्रपुर नामित की जायेगी। उक्त समूह में मनरेगा, एन.आर.एल.एम., स्वच्छ भारत मिशन / स्वजल, नियोजन / सांख्यिकी, पंचायतीराज विभाग के अधिकारी / प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ अथवा पेशवर सुविधाकर्ता के रूप में सम्मिलित किये जा सकेंगे। इसी प्रकार जनपद स्तर पर भी जिला संसाधन समूह का गठन किया जायेगा, जिसका क्षमता विकास यू0आई0आर0डी0 एवं

पी0आर0 द्वारा किया जायेगा। जिला संसाधन समूह में ग्राम नियोजन से जुड़े अधिकारी, ग्राम पंचायत के समर्पित निर्वाचित प्रतिनिधि, समर्पित स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन एवं ई0 टी0 सी0 संकाय, इत्यादि सदस्य की भागीदारी भी श्रेयस्कर होगी, जो नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित जनपद / विकास खण्ड / ग्राम स्तरीय अधिकारियों / कार्मिकों, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, क्लस्टर पर गठित तकनीकी सहायता समूह, आदि का सघन क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करेगी। क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार करने एवं हैल्प डैस्क बनाने में उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, रूद्रपुर सहयोग प्रदान करेगी।

4– स्थिति विश्लेषण (Situation Analysis)–

स्थिति विश्लेषण क्षेत्र / ग्रामवासियों से सम्पर्क स्थापित करते हुए उनके दृष्टिकोण से स्थितियों को समझने, सीखने तथा ग्रामीण परिवेश की समस्याओं, कमजोरियों, क्षमताओं व संभावनाओं का सामुदायिक विश्लेषण करने का एक तरीका है।

क्षेत्र विशेष (ग्राम पंचायत) की रूप–रेखा के अन्तर्गत मुख्यतः (i) स्थान, मानचित्र, (ii) इतिहास, संस्कृति– परंपराऐं, त्योहार, मेले, अन्य सांस्कृतिक घटनाएं, (iii) भूगोल– भूमि, जीव–जंतु, नदी, तालाब, भूजल की स्थिति, मृदा व अन्य प्राकृतिक संसाधन, मौसम, वर्षा, इत्यादि, (iv) जनसांख्यिकीय संरचना– जनसंख्या, परिवारों की संख्या, घनत्व, बसावट, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, जातिगत संरचना, विकलांगजन, साक्षरता–शिक्षा, प्रवसन / पलायन का स्वरूप, (v) प्रशासनिक ढाँचा–ग्राम पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के संसाधन, ग्राम पंचायत के कार्मिक व संस्थाएं, ग्राम पंचायत के अन्तर्गत अन्य कार्यालय, सहकारिता, स्वयं सहायता समूह, कृषक समूह, उपभोक्ता समूह, युवा, खेल एवं कला क्लब, पुस्तकालय, (vi) आर्थिक संसाधन– भूमि उपयोग, कृषि भूमि (जोत भूमि, सिंचित भूमि, असिंचित भूमि), कृषि योग्य परती भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि, फसल पद्वति –खाद्य / गैर–खाद्य, उद्यान– वृक्षारोपण, चारागाह –सामुहिक / निजी, पशुधन, अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल स्रोत–सिंचाई के साधन, वन, खनन, बाज़ार, गोदाम व भंडार गृह की सुविधा, बैंक व अन्य आर्थिक संस्थाएं, (vii) आधारभूत संरचना व नागरिक सुविधाएं–सड़क व सार्वजनिक परिवहन, सस्ता गल्ला दुकान, विद्युत, स्वच्छता, खेल, मनोरंजन व अन्य सामुदायिक सुविधाएं, पोस्ट आफिस, दूर संचार इत्यादि आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये जा सकेंगे।

स्थिति विश्लेषण दो प्रकार से किये जायेंगे– प्रथमतः सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रयुक्त बेसलाईन सर्वे प्रपत्र आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर प्रयोग में लाये जाऐंगे तथा दूसरा, सहभागी स्थिति विश्लेषण के द्वारा ग्राम पंचायत की रूपरेखा (प्रोफाईल) तथा मौजूदा स्थिति, समस्याओं का विश्लेषण किया जायेगा।

इस प्रकार स्थिति विश्लेषण के आधार पर ग्राम सभा स्वयं परिकल्पना तथा आवश्यकताओं का आंकलन करने में सक्षम हो सकेगी। तद्नुसार, ग्राम पंचायतें निम्न सेक्टरों यथा मानव विकास में कमी, आर्थिक विकास की सम्भावना, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन की चिन्ताएं, नागरिक सुविधाओं की न्यूनता एवं अपर्याप्तता, आधारभूत संरचनाओं का अन्तर तथा सामाजिक विकास एवं न्याय की चुनौतियों के आधार पर ड्रॉफ्ट रिपोर्ट बनायेगी। अतः स्थिति के सहभागी विश्लेषण उपरान्त तैयार ड्रॉफ्ट रिपोर्ट के निम्नानुसार सेक्टरवार घटक होंगे, जो योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों एवं गतिविधियों की श्रेणी में सम्मलित होगें।

(क) मानव विकास–

1. स्वास्थ्य–आशा केन्द्रों का रख रखाव एवं संचालन, सार्वभौमिक टीकाकरण, शिशु मृत्युदर कम करने एवं लिंगानुपात बढाने हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रम।
2. शिक्षा– प्राथमिक विद्यालय का रखरखाव, शौचालय का निर्माण, मध्याह्न भोजन, पुस्तक वितरण एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत विद्यालयों में सार्वभौमिक दाखिला।
3. पोषण – आंगनवाडी केन्द्रों का संचालन, पुष्टाहार वितरण, पोषण की योजनाओं का प्रचार।

(ख) नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत सामुदायिक अवसंरचनाएं –

1 पेयजल एवं जलापूर्ति,
2 सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन,
3 सेप्टैज प्रबन्धन व जल निकासी प्रबन्धन

4 स्वच्छता– व्यक्तिगत / सार्वजनिक शौचालय
5 सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव एवं उच्चीकरण / निर्माण
6 सड़क / सी0सी0 मार्ग / पक्की गली / फुटपाथ निर्माण
7 पुलिया निर्माण
8 स्ट्रीटलाईट सोलर लाईट / एल.ई.डी.
9 खेल के मैदान, मनोरंजन व अन्य सामुदायिक सुविधाएं
10 कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रख–रखाव
11 ग्राम पंचायत में आय सृजन हेतु स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों जैसे हॉट बाजार, गोदाम / भण्डार गृह का निर्माण
12 पंचायत राज अधिनियम में अनुमन्य कार्य।

(ग) आर्थिक विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन –

1. कृषि व सम्बद्व कार्यकलाप
2. स्थानीय उत्पादन एवं उत्पादकता,
3. लघु उद्योग,
4. वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन,
5. आजीविका के लिए कौशल विकास,
6. रोजगार एवं आय,
7. स्थानीय आधारभूत सेवाऐं यथा बाजार, गोदाम / भण्डार गृह की व्यवस्था,
8. तालाब, कूप, नलकूप, सिचाई टैंक की व्यवस्था ,
9. मत्स्य पालन एवं पशुधन विकास,
10. पर्यटन आधारित गतिविधियाँ व उनका मूल्य संवर्धन, इत्यादि।

प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन–

1 जलागम क्षेत्र,
2 चाराभूमि विस्तार,
3 बंजर भूमि विकास,
4 वनारोपण, पौधरोपण,
5 प्राकृतिक आपदा रोकथाम ।

(घ) सामाजिक विकास एवं न्याय –

1 समाज के विशेष वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बच्चे, वृद्व, विकलांगजन, आदि के हितों का संरक्षण
2 सामाजिक कुरूतियों को दूर करना, सामाजिक समरसता, समुदाय में सकारात्मक गुणों का पोषण, आदि गतिविधियाँ।

(ड) सार्वजनिक सेवाओं एवं शासन की सुपुर्दगी–

1. परिसम्पत्ति रजिस्टर का रख रखाव।
2. परिवार रजिस्टर का रखरखाव एवं प्रतियां निर्गत करना।
3. जन्म–मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गमन।
4. राशन कार्ड का रखरखाव।
5. पेंशन स्कीम का संचालन।
6. समुदाय आधारित अनुश्रवण।
7. पारदर्शिता व स्व–प्रकटन ।

सहभागी नियोजन के माध्यम से द्वितीयक (सेकण्डरी) आँकड़ों यथा जनगणना, सामाजिक आर्थिक जाति गणना के आँकड़ें, विभिन्न रेखीय विभागों में रक्षित आँकड़ों तथा बेसलाईन सर्वे के आँकड़ों का एकीकरण एवं प्रमाणीकरण भी साथ–साथ हो जायेगा। यह कार्य विकास खण्ड में क्लस्टर पर गठित तकनीकी सहायता समूह द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। स्थिति विश्लेषण के द्वारा आँकड़ों के एकत्रीकरण की कार्यवाही की निश्चित समय सीमा प्रारम्भिक दौर में एक से दो दिन निर्धारित की जाय, जिसे आवश्यकतानुसार बाद में

परिवर्तित किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतें उक्त कार्य पी.आर.ए. टूल्स यथा हितधारकों के साथ विचार–विमर्श (एफ.जी.डी.), सोशल मैप, संसाधन मैपिंग, ट्रॉंजेक्ट वॉक, आजीविका विश्लेषण, आदि के माध्यम से स्थिति विश्लेषण की ड्रॉफ्ट रिपोर्ट तैयार कर सकेंगी।

समुदाय को नियोजन, क्रियान्वयन व अनुश्रवण की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के क्रियाकलापों के विकास हेतु देने से विकास का दायरा विस्तृत होगा तथा संवहनीयता भी बनी रहेगी। सहभागी नियोजन से जनाकांक्षाओं व सीमित संसाधनों के मध्य संतुलन, प्रत्येक हितधारकों की क्षमताओं में वृद्धि तथा सामुहिक स्वामित्व की भावना पैदा होगी। अतः समाज के प्रत्येक सदस्यों विशेषकर आर्थिक–सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों, महिलाएं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांगजन, इत्यादि को विकास व नियोजन से जोड़ने पर वांछित लक्ष्य पाया जा सकेगा। ग्राम पंचायत में उपलब्ध मानव संसाधन/हितधारकों का क्षमता विकास कर, उनका सदुपयोग सुविधाकर्ता के रूप में किया जा सकेगा। तद्नुसार उनको स्थिति विश्लेषण, हितों व आवश्यकताओं के चिन्हीकरण एवं निर्धारण का दायित्व सौंपा जा सकता है।

5– परिकल्पना एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण–

नियोजन के उद्देश्यों, ग्राम पंचायत की आवश्यकता आंकलन एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की परिकल्पना पर चर्चा की जायेगी। तदुपरान्त ग्राम पंचायत सामूहिक सहभागिता के माध्यम से सैक्टरवार लक्ष्य का निर्धारण करेगी। स्थिति विश्लेषण की ड्रॉफ्ट रिपोर्ट को ग्राम सभा तथा विभिन्न हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) यथा संस्थात्मक रूप से गठित एवं परिचालित स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, मनरेगा के जॉबकार्ड धारक, कृषक समूह, समुदाय आधारित संगठन आदि, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष गहन चर्चा (एफ0जी0डी0) हेतु रखा जायेगा। आवश्यकतानुसार ग्राम सभा छोटे–छोटे समूहों में अथवा वार्डवार विभक्त होकर ड्रॉफ्ट रिपोर्ट के प्रत्येक पहलू पर चर्चा कर सकेगी। तदनुसार सैक्टरवार लक्ष्य ग्राम पंचायत की वार्षिक एवं पंचवर्षीय भावी ड्राफ्ट प्लान में परिलक्षित होंगे।

नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व ग्राम सभा को प्राप्त समस्त संसाधनों की जानकारी ससमय प्राप्त होना आवश्यक है। तदनुसार ग्राम सभा सहभागी प्रक्रिया से जनाकांक्षाओं/आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करते हुए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर क्षेत्रवार/सेक्टरवार समाधान सूचियों की प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगी। प्राथमिकीकरण में विस्तार, समाज के विशेष वर्गों के लिए समाधान सूची, अनुमानित/कम लागत/बिना लागत, मरम्मत, पुनरूद्धार एवं पुनर्निर्माण, कार्यान्वित होने योग्य, संवहनीयता/टिकाऊपन, दक्षता एवं प्रभावशीलता इत्यादि मानकों का निर्धारण किया जायेगा। ग्राम सभा द्वारा मुद्दों की पहचान व समेकन की सफलता जनता की प्रतिभागिता /सक्रिय सहभागिता की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। ग्राम सभा बैठकों में जनसहभागिता बढ़ाने के निम्न उपाय हो सकते हैं:

(1) समय से बैठक की तिथि की सूचना,
(2) ऐजेन्डा/नोटिस की घर–घर तामीली,
(3) पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बैठक में अपने वार्ड की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाय,
(4) समाज के विशेष वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय,
(5) विभिन्न हित समूहों जैसे स्वयं सहायता समूह, कृषक समूह की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाय,
(6) बैठक को अभियान का रूप देने की आवश्यकता– राष्ट्रीय सेवा योजना, छात्र–छात्राओं, एन0सी0सी0, युवा/महिला मंगल दल तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा घरों का भ्रमण कर ग्रामीणों से बैठक में आने का न्यौता दिया जाय।

अपरिहार्य परिस्थिति में यदि किसी कारणवश ग्रामीण ग्रामसभा की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी चिंताओं, आकांक्षाओं व मुद्दों को भी सूचीबद्ध किया जा सकता है। सहभागी नियोजन के साक्ष्य के रूप में ग्राम सभा की खुली बैठक की जियो टैग्ड फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करायी जाय। ड्रॉफ्ट प्लान की तैयारी में एकरूपता के दृष्टिगत टेम्पलेट का प्रयोग किया जायेगा।

विकास खण्ड में क्लस्टर पर यथासाध्य 10 ग्राम पंचायतों के लिए गठित तकनीकी सहायता समूह में प्रारम्भिक दौर में प्रति ग्राम पंचायत से कम से कम दो समर्पित सदस्य ग्राम सभा द्वारा चयनित किये जायेंगे, जिनकी संख्या समूह में बाद के वर्षों में आवश्यकतानुरूप बढ़ायी जा सकेगी। तकनीकी सहायता समूह ग्राम नियोजन में निम्नलिखित कार्य कर सकेंगे–

(1) स्थिति विश्लेषण में ग्राम सभा की सहायता,
(2) प्राथमिक सर्वेक्षणों में समन्वय,
(3) सामाजिक व संसाधन मानचित्रीकरण से प्राप्त मुद्दों व आवश्यकताओं के विश्लेषण उपरान्त ग्राम पंचायत की कार्यनीति की तैयारी,
(4) ग्राम पंचायत की परिकल्पना निर्माण में सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना,
(5) ग्राम पंचायत की भावी योजना तथा वार्षिक योजना में प्राथमिकता निर्धारण में सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना,
(6) ग्राम पंचायत परियोजना निर्माण में सहायता,
(7) पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं फीडबैक,
(8) स्थानीय स्तर पर समाधान ढूँढने में ग्राम सभा की सहायता, इत्यादि।

6– परियोजनाकरण एवं ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्धारण–

ग्राम पंचायत / नियोजन एवं विकास समिति में ग्राम सभा में तैयार प्राथमिकता सूची तथा पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों व सेवाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण की आवश्यकताओं पर चर्चा की जायेगी। तदनुसार ग्राम पंचायत सेक्टरवार परियोजनाओं पर सम्भावित व्यय अनुमान (tentative allocation) करेगी। ग्राम पंचायत ड्रॉफ्ट प्लान में मात्र उन योजनाओं का व्यय अनुमान सम्मिलित किया जाय, जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आते है अर्थात् जिन पर व्यय करने का निर्णय ग्राम पंचायत स्वयं लेती है।

ग्राम पंचायत / नियोजन एवं विकास समिति परियोजना निर्माण कार्य में बहुआयामी तकनीकी सहायता समूह का सहयोग ले सकेगी। समूह में ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं समुचित विभागीय सहयोग समयान्तर्गत प्रदान करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी की होगी। परियोजना निर्माण कार्य निश्चित समयावधि, अधिकतम दस से पन्द्रह दिनों में पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। उक्त कार्य का अनुश्रवण मासिक आधार पर जनपद स्तर पर गठित जिला अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा।

परियोजना निर्माण कार्य अथवा अनुमोदन प्रत्येक दशा में ग्राम पंचायत में ही होगा। क्षेत्र पंचायत में उपलब्ध तकनीकी स्टाफ / विशेषज्ञ ग्राम पंचायत में परियोजना निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

परियोजना के निम्न भाग होंगे–परियोजना का नाम, स्थान (मौजा, खसरा, इत्यादि), परियोजना का औचित्य (स्थिति विश्लेषण के आधार पर), परियोजना का घटक / क्रियाकलाप, ग्राम सभा प्रस्ताव संख्या एवं तिथि, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति का दिनांक, लागत मूल्य एवं निधि के श्रोत, परियोजना प्रारंभ एवं समापन की संभावित तिथि, कार्यदायी संस्था / एजेन्सी का नाम, सम्भावित परिणाम इत्यादि।

परियोजनाकरण करते समय ग्राम पंचायत विकास के विकल्प के मध्य प्राथमिकता निर्धारित करेगी, अर्थात पंचवर्षीय भावी योजना में वर्षवार परियोजनाओं को पूर्ण करने की प्राथमिकता निर्धारित करेगी। पुनः विकास योजना के निर्माण में निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी–

(1) परियोजनाओं का क्रियान्वयन, जिसमें ग्राम पंचायत के संसाधन / निधि प्रयुक्त किया जाना है,
(2) परियोजनाएं जिन्हें संयुक्त रूप से समुदाय के साथ पूर्ण किया जाना है,
(3) परियोजनाएं जिन्हे संयुक्त रूप से विभागों या एजेन्सी के साथ पूर्ण किया जाना है,
(4) लागत रहित परियोजनाएं जो उत्प्रेरण के माध्यम से नागरिकों के द्वारा पूर्ण की जायेगी,
(5) परियोजनाएं जिन्हें शुद्ध रूप से अन्य विभाग द्वारा पूर्ण किया जाना है। यहाँ ग्राम पंचायत अपनी इच्छा सूची उपलब्ध करायेगी। समान प्रवृत्ति के कार्यों, जो एक से अधिक ग्राम पंचायतों में सम्पादित किये जायेंगे, ऐसी कार्यसूची को क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत या अन्य विभाग को अग्रसारित कर दिया जायेगा।

• ड्रॉफ्ट प्लान की पुष्टि–

ग्राम पंचायत समेकित परियोजनाओं के ड्रॉफ्ट प्लान को ग्राम सभा में रखेगी। खुली बैठक में सेक्टरवार संसाधन युक्त प्रत्येक

परियोजना पर पुष्टि की कार्यवाही सर्वसम्मति के आधार पर की जायेगी। ड्रॉफ्ट प्लान में सीमित संसाधनों, प्राथमिकता या योजना के आकार में परिवर्तन होने पर ग्राम पंचायत द्वारा उसे पृथक से मय कारण व औचित्य के साथ ग्राम सभा के समक्ष पुष्टि हेतु रखा जायेगा। चूंकि सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ग्राम सभा सभी मुद्दों पर समाधान नहीं करा पायेगी, अतः बैठक में परियोजनाओं के ड्रॉफ्ट प्लान पर अंतिम रूप प्रदान करने हेतु आय संग्रहण की रणनीति पर सहमति बनाई जायेगी। यहां पर नागरिक स्वैच्छिक सहयोग की महत्ता को समझ सकेंगे तथा निधि अन्तर को पाटने में भी भूमिका निभायेंगे।

• ड्रॉफ्ट वार्षिक प्लान का अनुमोदन–

ग्राम पंचायत ड्रॉफ्ट वार्षिक प्लान में कुल उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष 125 प्रतिशत तक की सीमा में परियोजनाओं पर अनुमोदन प्रदान करेगी तथा ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवाही में अनुमोदन का अंकन निम्न प्रारूप अनुसार करते हुए सेक्टरवार वित्तीय परिव्यय, संसाधन की उपलब्धता, परियोजना की संख्या व आंगणित लागत का उल्लेख करेगी।

क्र. सं.	सेक्टर	परियोजना का नाम व स्थान	योजना का नाम एवं वर्ष	आंगणित लागत	ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं. व बैठक की तिथि	प्रशासनिक–वित्तीय स्वीकृति की तिथि	अभ्युक्ति

7– प्रशासनिक–वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति –

ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर प्रशासनिक–वित्तीय स्वीकृति का निम्न स्तर होगा:–

क्र. सं.	परियोजना लागत	स्वीकृति का सक्षम स्तर	अवधि	अभ्युक्ति
1	रू. 03.00 लाख तक	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन की तिथि से स्वतः स्वीकृत।	ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची सहायक विकास अधिकारी(पं.) के माध्यम से एक पक्ष के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी को प्राप्त करायी जाय।
2	रू. 03.00 लाख से ऊपर	मुख्य विकास अधिकारी	एक सप्ताह	जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से

ऐसी परियोजनाएं जो अभिसरण अथवा डोवटेलिंग (युगपतिकरण) के माध्यम से तैयार की जायेंगी, उन पर प्रशासनिक–वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जायेगी। विकास खण्ड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं अवर अभियन्ता का दायित्व होगा कि समक्ष स्तर पर प्रशासनिक–वित्तीय स्वीकृति से बचने हेतु ग्राम पंचायतें खण्डों/टुकड़ों में कोई परियोजना तैयार न करे।

परियोजना की प्रकृति के अनुरूप तकनीकी पुनरीक्षण (technical vetting) कार्य के लिए विभागीय कार्मिक, तकनीकी विशेषज्ञ/पेशेवर यथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें, लघु सिंचाई, मनरेगा सेल, जिला पंचायत, आदि के अवर अभियन्ता का सहयोग लिया जायेगा। योजना में शैड्यूल ऑफ रेट्स (SOR) मनरेगा के अनुसार तय किया जायेगा। परियोजनाओं की संख्या के आधार पर मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण कार्य अधिकतम 10 दिनों में पूर्ण किया जायेगा। तकनीकी मूल्यांकन (अप्रैजल) करते समय परियोजना की मूल प्रवृत्ति को परिवर्तित नहीं किया जायेगा वरन् यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत मानक (कॉस्ट नार्म्स) एवं ईकाई लागत के अनुरूप परियोजना की अनुकूलता बनी रहे तथा परियोजना राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नीति के विरूद्ध न जाय तथा कुछ विशिष्ट योजनाओं की राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित शर्तों का अनुपालन भी हो सके।

परियोजनाओं के लिए विस्तृत प्राक्कलन का गठन अवर अभियन्ता द्वारा अधिकतम 15 दिनों में कर लिया जायेगा तथा सक्षम स्तर से प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति अधिकतम 15 दिनों में प्राप्त की जायेगी। रू. 02.00 लाख तक के प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियन्ता द्वारा एवं रू. 02.00 लाख से 75.00 लाख तक के प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदान

की जायेगी। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना के तकनीकी एवं प्रशासनिक पक्ष निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिये जाय। जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायतों के समेकित ड्रॉफ्ट प्लान मय टैम्पलेट्स के निदेशालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

परियोजना निर्माण तकनीकी टीम में ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें, लघु सिंचाई, मनरेगा सेल, जिला पंचायत के अवर अभियन्ताओं को सम्मिलित किया जायेगा, जो सचल दस्ते के रूप में परियोजना निर्माण, प्राक्कलन गठन एवं मापन इत्यादि तकनीकी कार्य करेंगे। जनपद के जिलाधिकारी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यथासम्भव प्रत्येक क्लस्टर पर फिक्स डे अप्रोच के आधार पर अभियन्ताओं का रूट चार्ट / ग्रामवार रोस्टर बनाकर उनसे कार्य लिया जाय।

जहां पर क्लस्टर में ग्राम पंचायतों के समूह सामूहिक सार्वजनिक उपयोगिता की परिसम्पत्ति / परियोजना का 14वें वित्त आयोग की धनराशि / अभिसरण द्वारा सृजन करना चाहें तो ऐसें कार्यों के समन्वय एवं कियान्वयन के लिये जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। क्लस्टर पर चयनित परियोजना के प्रशासनिक–वित्तीय स्वीकृति का उपक्रम पूर्वतः रहेगा।

8 – अधिप्राप्ति एवं भुगतान की प्रक्रिया :–

1. केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की धनराशि को सी0बी0एस0 बैंक खाते में पृथक से खोला जायेगा, जिन ग्राम पंचायतों में पृथक से खाते नहीं खोले गये हैं वहां तत्काल खाता खोलने की कार्यवाही कर ली जाये। खाता संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।
2. अधिप्राप्ति एवं भुगतान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं संशोधित नियमावली के अनुरूप एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी। ग्राम पंचायते सामग्री क्रय एवं भुगतान अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप कोटेशन / टेण्डर के माध्यम से करेंगे।
3. रू0 2000 से ऊपर की धनराशि का सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से फर्म अथवा अन्य को किया जायेगा।
4. ग्राम पंचायत में माप पुस्तिका रखना आवश्यक होगा। अंतिम भुगतान से पूर्व कार्य का मापन किया जाय। मूल्यांकन के स्तर कार्य की प्रकृति / प्रगति पर भी निर्भर करेगी।

9– समर्थन प्रणाली :–

(क) राज्य स्तरीय सशक्तीकरण समितिः– अपर मुख्य सचिव / आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्तीकरण समिति का गठन, जिसमें सचिव, पंचायती राज समन्वयक तथा सचिव, ग्राम्य विकास, नियोजन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी, पेयजल, पर्यटन, आपदा प्रबन्धन, लघु उद्योग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, प्राथमिक शिक्षा, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मतस्य, ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं, लघु सिंचाई तथा अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, रूद्रपुर सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे।

ग्राम पंचायत नियोजन के क्रियान्वयन, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने वाले विषयों पर नीतिगत निर्णय, क्षमता विकास आदि विषयों पर समिति निर्णय लेगी। यह ग्राम पंचायत विकास योजना के दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप प्रदान करने, दिशा निर्देशों में समय–समय पर संशोधन, विकेन्द्रीकरण नियोजन को ग्राम पचांयत में लागू करवाने, ग्राम पंचायत के संसाधन एनवलप में अधिकाधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने, ग्राम नियोजन में अन्तर्विभागीय समन्वय, विशेषकर डाटा / सूचना साझा करने, अभिसरण की प्रक्रिया सुगम करने तथा ग्राम पंचायत योजना के परिचालन में तकनीकी समर्थन प्रदान किये जाने हेतु उत्तरदायी होगी। समिति ग्राम पंचायत विकास योजना के नियोजन प्रक्रिया एवं परियोजनाओं के समयबद्व क्रियान्वयन हेतु के लिए प्रारंभिक दौर में मासिक बैठक करेगी।

(ख) राज्य संसाधन समूह :– राज्य स्तर पर एक राज्य संसाधन समूह का गठन किया जायेगा, जिसकी नोडल ऐजेन्सी उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, रूद्रपुर (यू.आई.आर.डी. एण्ड पी.आर. रूद्रपुर) नामित की जायेगी।

उक्त समूह में मनरेगा, एन.आर.एल.एम., स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वजल, नियोजन / सांख्यिकी, पंचायतीराज विभाग के अधिकारी / प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ अथवा पेशवर सुविधाकर्ताओं के रूप में सम्मिलित किये ज़ायेंगे। राज्य संसाधन समूह सचिव, पंचायतीराज एवं निदेशक, पंचायतीराज को रिपोर्ट करेगी। यह समूह कार्यनीति की तैयारी, वातावरण निर्माण, नियोजन प्रक्रिया के परिचालन एवं नियोजन पश्चात् प्रबंधन में क्षमता विकास एवं समर्थन प्रणाली प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगी। यह जिला अनुश्रवण समिति एवं जिला संसाधन समूह का क्षमता विकास करेगी तथा मॉड्यूल विकास, हस्तपुस्तिका, प्रशिक्षण किट्स, आई0ई0सी0 सामग्री, विशेषकर पोस्टर, ब्राउशर, पैम्पलेट्स इत्यादि तैयार करेगी तथा राज्य व जनपद स्तर (ईटीसी) पर हैल्प डेस्क की स्थापना करेगी।

(ग) **तकनीकी ऐजेन्सी**– राज्य स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक नियोजन प्रक्रिया के प्रलेखन (डॉक्युमेण्टेशन) हेतु एक तकनीकी ऐजेन्सी पारिश्रमिक / आउटसोर्स आधार पर निदेशालय पंचायतीराज के अधीन कार्य करेगी।

(घ) **जिला अनुश्रवण समिति** – जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष तथा जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में नामित किये जायेंगे तथा जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला संख्या अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला परियोजना प्रबन्धक स्वजल, अधिशासी अभियन्ता जल निगम, जिला पर्यटन अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक / माध्यमिक),जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिलाधिकारी द्वारा नामित दो प्रधान (वर्ष में चक्रानुक्रम आधार पर), मीडिया, विकेन्द्रीकृत ग्रामीण नियोजन में अनुभव रखने वाले गैर सरकारी संगठन / विषय विशेषज्ञ (वैकल्पिक / उपलब्धता के आधार पर) इस समिति के सदस्य होंगे।

जिला अनुश्रवण समिति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के मार्गनिर्देशों का क्रियान्वयन करायेगी, ग्राम पंचायत विकास योजना के नियोजन में अन्तर्विभागीय समन्वय करेगी, योजनाओं / संसाधनों, विशेषकर मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन के साथ अभिसरण करेगी, दिशानिर्देश के अनुरूप विकास खण्ड में ग्राम पंचायतों के क्लस्टर का निर्धारण, जनपद स्तर पर वातावरण निर्माण की गतिविधियों एवं मीडिया प्लान तैयार करेगी, ग्राम स्तर से प्राप्त व्यावहारिक मुद्दों एवं समस्याओं का समाधान / निर्णय करेगी, ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की व्यवस्था, ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रत्येक स्तर के हितधारकों का क्षमता विकास, परियोजना के तकनीकी मूल्यांकन एवं अनुमोदन की व्यवस्था करना, प्लान तैयार होने तक साप्ताहिक समीक्षा तथा नियोजन पश्चात् परियोजनाओं का अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा भौतिक सत्यापन करेगी। समिति के सदस्य सचिव का यह दायित्व होगा कि योजना की भौतिक / वित्तीय प्रगति को निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रेषित करेंगे तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस यू.आई.आर.डी. एण्ड पी.आर.को प्रेषित करेंगे।

(ड.)– **जिला संसाधन समूह**– जिला संसाधन समूह जिसके अन्तर्गत ई0टी0सी0 संकाय के सदस्य, पंचायत, सांख्यिकी, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी, विषय विशेषज्ञ अथवा पेशवर, व पंचायत प्रतिनिधि सुविधाकर्ता के रूप में सम्मिलित किये जा सकते है। जिला संसाधन समूह ब्लाक समन्वय समिति व विकास खण्ड में क्लस्टर पर गठित तकनीकी सहायता समूह का क्षमता विकास करेगी।

(च)– **ब्लाक समन्वय समिति**– ब्लाक स्तर पर उप जिलधिकारी की अध्यक्षता में ब्लाक समन्वय समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) समन्वयक के रूप में नामित किये जायेंगे, उल्लिखित रेखीय विभागों के ब्लाक स्तरीय अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी द्वारा नामित पॉच प्रधान (वर्ष में चक्रानुक्रम आधार पर) इस समिति के सदस्य होंगे। समिति जिला अनुश्रवण समिति से प्राप्त निर्देशों का क्रियान्वयन करेगी,

दिशानिर्देश के अनुरूप विकास खण्ड में ग्राम पंचायतों के क्लस्टर का निर्धारण एवं तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों का चयन, जिला संसाधन समूह को क्लस्टर पर गठित तकनीकी सहायता समूह के क्षमता विकास में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी, ब्लाक स्तर पर वातावरण निर्माण तैयार करेगी, ग्राम पंचायतों में स्थिति विश्लेषण तथा ग्राम सभा का आयोजन, परियोजना के तकनीकी मूल्यांकन एवं अनुमोदन की व्यवस्था, ग्राम स्तर से प्राप्त व्यावहारिक मुद्दों एवं समस्याओं का समाधान/निर्णय करेगी, ग्राम पंचायत के योजना निर्माण तथा नियोजन पश्चात् परियोजनाओं का अनुश्रवण व भौतिक सत्यापन करेगी।

(छ) तकनीकी सहायता समूह– विकास खण्ड में क्लस्टर पर गठित तकनीकी सहायता समूह, जो सचल कार्य दल के रूप में कार्य करेगा, के संयोजक ग्राम स्तरीय कार्मिक होंगे। समूह में स्थानीय उपलब्ध मानव संसाधन यथा ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत समितियों के सदस्य, ग्राम नियोजन का अनुभव रखने वाले विषय विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन, सेवानिवृत्त कार्मिक, कृषक समूह, युवा समूह, महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, युवक–महिला मंगल दल, मनरेगा जॉब कार्डधारक, एन0आर0एल0एम0 लाभार्थी समूह, शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जा सकेंगे। प्रारम्भिक दौर में एक तकनीकी सहायता समूह यथासाध्य 10 ग्राम पंचायतों के लिए गठित होगा। समूह गठन में कार्य की प्रकृति का ध्यान रखा जाय तथा इसका सघन क्षमता विकास किया जाय, उन्हें हस्तपुस्तिकाएं व प्रशिक्षण किट्स उपलब्ध करायी जाय, जिसमें उनके कार्यों व दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख हो। यह मुख्यतः तीन कार्य करेगा– 1. प्रशिक्षण या क्षमता विकास 2. पर्यवेक्षण 3. माँग आने पर स्थल पर जाकर क्षमता विकास या समस्याओं का निराकरण।

(ज) चार्ज अधिकारी– चार्ज अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होगा, जो मुख्यतः वार्षिक ड्रॉफ्ट प्लान के निर्धारण में प्रयुक्त पी0आर0ए0/स्थिति विश्लेषण रिर्पोट, ग्राम सभा आयोजन के जियो टैग्ड फोटोग्राफ, कार्यवाही का विवरण, पारित प्रस्तावों के दस्तावेजीकरण, एवं साफ्टवेयर अपलोडिंग इत्यादि दायित्वों के निश्चित समयावधि में निवर्हन के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही चार्ज अधिकारी का दायित्व होगा कि परियोजना के तकनीकी मूल्यांकन (अप्रैज़ल), प्राक्कलन गठन तथा प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति तथा कार्य का मापन निर्धारित समय–सीमा में हो।

9 पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं अनुश्रवण–

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं का नियमित पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाना आवश्यक होगा। योजना निर्माण में जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी की अहम भूमिका होगी। प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक जिलास्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षण अधिकारी / नोडल के रूप में जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिसका रोस्टर संबधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति से निर्गत किया जाएगा। रोस्टर का समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक होगा। बैठकों का रोस्टर इस प्रकार निर्गत किया जाए कि प्रत्येक बैठक में रेखीय विभागों के प्रतिनिधि सूचनाओं सहित उपस्थित हों। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विभाग उक्त खुली बैठक में विभाग की परिलब्धियों के साथ समस्याओं का ज्ञापन भी प्रस्तुत करें, एवं विचार–विमर्श के उपरान्त सेक्टरवार योजना तैयार की जाए। ब्लाक स्तरीय नोडल अधिकारी प्रत्येक बैठक का प्रत्यावेदन ब्लाक के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ब्लाक का जिला स्तरीय नोडल अधिकारी विकास खण्ड की बैठकों पर रिर्पोट/प्रत्यावेदन जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जिलाधिकारी यदि कोई बिन्दु शासन के संज्ञान में लाना चाहें तो पंचायतीराज विभाग को प्रेषित करेगा।

पंचायतीराज विभाग नोडल विभाग होने के क्रम में जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी कम से कम 20 ग्राम पंचायतों तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड की कम से कम 25 ग्राम पंचायतों में ड्राफ्ट प्लान के निर्धारण में सहयोग हेतु बैठकों में उपस्थित रहेंगे।

प्रत्येक परियोजना की दो स्तर (कार्य प्रारंभ से पूर्व एवं कार्य समाप्ति) पर जियोटैग्ड फोटोग्राफ रखा जाना आवश्यक होगा। ग्राम पंचायतों के ड्रफ्टप्लान को जनपद की वेबसाइट एवं पंचायतराज विभाग की वेबसाइट www.ukpr.gov.in में अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी समय समय पर ग्राम पचायत विकास योजाओं के निर्माण की प्रगति का आंकलन/अनुश्रवण करेंगे। इसी प्रकार विकास खण्ड मे तैनात सहायक विकास अधिकारी (पं0) विकास खण्ड की 40 प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण करेंगे तथा शेष 60 प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण विकास खण्ड में तैनात सेक्टर अधिकारी (सहायक विकास अधिकारी/सहायक खण्ड विकास अधिकारी/अवर अभियन्ता) करेंगें। खण्ड विकास अधिकारी 25 प्रतिशत, जिला पंचायत राज अधिकारी 10 प्रतिशत, जनपदों मे गठित जिला टास्क फोर्स अधिकारी 25 प्रतिशत तथा मुख्य विकास अधिकारी 5 प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण करेंगें। जिलाधिकारियों से भी यह अपेक्षित होगा कि अपने भ्रमण कार्यक्रम में योजनाओं का निरीक्षण करें। निदेशालय स्तर पर तैनात अधिकारी भी जनपदीय भ्रमण के दौरान योजनाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगें।

10 अन्य प्रबन्ध–

ग्राम सचिवालय की भावना के अनुरूप ग्राम स्तरीय कार्मिक निश्चित दिवसों में अनिवार्य रूप से एक साथ ग्राम पंचायत में उपस्थित हो, यह व्यवस्था जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के सहयोग से की जायेगी।

जनपद स्तर पर एक तकनीकी सलाहकार (डी.पी.एम.) तथा आवश्यकतानुसार डेटा एण्ट्री ऑपरेटर की आउट सोर्सिंग या संविदा पर व्यवस्था राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान में प्रस्तावित दर के आधार पर स्वीकृतोपरान्त की जायेगी, जो ग्राम नियोजन के प्रलेखन एवं अन्य तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। जब तक उपरोक्त मानव संसाधन की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक जिलाधिकारी रेखीय विभागों से समन्वय कर ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था करेंगे।

ग्राम पंचायतें वार्षिक एवं पंचवर्षीय ड्रॉफ्ट प्लान/परियोजनाओं को पंचायतों में लागू पी0ई0एस0 ऐप्लीकेशन के सम्बन्धित सॉफ्टवेयरों पर अपलोड करेगी तथा सुविधाजनक स्थलों यथा ग्राम पंचायत कार्यालय, नोटिस बोर्ड, दीवार लेखन आदि प्रचार माध्यमों से योजना का प्रचार–प्रसार करेगी।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाये कि ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व के स्रोतों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो तथा ग्राम पंचायत के अभिलेखों का अंकेक्षण प्रति वर्ष कराया जाये। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी के निदेशन में ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से करवाया जायेगा।

➢ **डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना) के अन्तर्गत योजना निर्माण हेतु आतिथि तक निम्न गतिविधियां सम्पादित की जा चुकी हैं:–**

- राज्य स्तर पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।
- उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, उधमसिहनगर पर 311 राजकीय कर्मियों एवं गैर सरकारी संगठनों के 165 प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण प्रदान कराया जा चुका है।
- जनपद स्तर पर दिनांक 18 से 20 फरवरी, 2016 के मध्य प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जा चुका है, जिसमें लक्ष्य 1240 के सापेक्ष 1206 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कराया गया
- ग्राम पंचायतों के क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण दिनांक 21 फरवरी, 2015 से 10 मार्च, 2016 तक पूर्ण कराये गये। 7950 ग्राम पंचायतों के लिये कुल 800 क्लस्टर में 23958 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- योजना के प्रचार प्रसार हेतु बल्क मैसेजिंग के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण की तिथियों से अवगत कराया गया। उक्त के अतिरिक्त डॉक्यूमेंटरी का निर्माण तथा पैम्फलेट, टैम्पलेट एवं मार्ग निर्देशिका की प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए जनपदों को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।

➢ **योजना के सफल संचालन हेतु निकट भविष्य के कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित हैं:–**

- दिनांक 31 मई, 2016 तक ग्राम सभाओं की खुली बैठकों का आयोजन कराया जायेगा तथा दिनांक 30 जून, 2016 तक ग्राम पंचायत के 04 वर्ष के पर्सपेक्टिव प्लान एवं वार्षिक प्लान तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- 30 जून, 2016 तक समस्त डाटा प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाना है।
- योजना के प्रचार प्रसार हेतु 30 से 60 सेकण्ड का रेडियो जिंगल तैयार करा जा रहा है, जो शीघ्र ही रेडियो पर प्रसारित कराया जायेगा।
- 14वें वित्त आयोग के मूल अनुदान के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत धनराशि तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में व्यय किये जाने सम्बन्धी निर्देशों के क्रम मे ग्राम पंचायतों को योजना के प्रचार–प्रसार के लिये दीवार लेखन कार्य अनुमन्य किया गया है।

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना (G.P.D.P.) :

एक नजर

1. **प्रशिक्षण ...**

- राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन–
  - दिनांक 23 सितम्बर, 2015
  - दिनांक 17 फरवरी, 2016
- यू0आई0आर0डी0 एण्ड पी0आर0, रूद्रपुर में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर–
  - 311 शासकीय कार्मिक
  - 165 प्रतिनिधि विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं से
- जनपद स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन
  - दिनांक 18–20 फरवरी, 2016 तक– 13 जनपदों में 24 कार्यशालाओं में 1206 प्रतिभागी प्रशिक्षित।
- ग्राम पंचायतों के क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण– 21 फरवरी से 10 मार्च, 2016 तक 800 कल्स्टरों में 23953 प्रतिभागी प्रशिक्षित।

2. **वातावरण सृजनः–**

- बैठकों का आयोजन– जिला अनुश्रवण समिति, ब्लाक क्रियांवयन एवं समन्वय समिति, ग्राम स्तर पर बैठकें / गोष्ठियों का आयोजन
- खुली बैठकों से पूर्व ग्राम पंचायतवार **वित्तीय संसाधनों** का निर्धारण– रेखीय विभाग द्वारा बैठक से पूर्व विगत पांच वर्षों की प्राप्तियां एवं कार्य सूचियां तथा आगामी चार वर्षों की संभावित प्राप्तियां ससमय उपलब्ध कराया जाना।
- दीवार लेखन (14वें वित्त के 10 प्रतिशत कन्टीजेन्सी से)।
- ग्राम सभा की बैठक के रोस्टर एवं ऐजेण्डा का व्यापक प्रचार– प्रसार।
- डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म का प्रर्दशन।
- ऑल इंडिया रेडियो / एफ0एम0 रेडियो में रेडियो जिंग्लस का प्रसारण।
- बल्क एसएमएस।
- मार्गदर्शिका, टैमप्लेट्स तथा पैमप्लेट्स निर्गमन।
- **मीडिया प्लान**– रेडियो / केबल टी0वी0 में स्ट्रीप्स चलाना।
- सोशन मीडिया–व्हट्स ऐप।
- प्रत्येक विकास खण्ड की दो ग्राम सभाओं में मॉक एक्सरसाईस।

3. **खुली बैठकों का आयोजन–**

- रोस्टर निर्गमन।
- स्टेन्डर्ड ऐजेण्डा तय करना।
- बैठकों में रेखीय विभागों के कार्मिक विभाग की परिलब्धियों के साथ–साथ समस्याओं का ज्ञापन पढेंगे।
- सेक्टरवार रेखीय विभागों द्वारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट (Vulnerability Mapping)

4. **ग्राम पंचायत विकास योजना का घटक–**

- 14वें वित्त के दिशा निर्देशों के अनुसार मूलभूत सेवाएं प्रदान करना।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत का स्वच्छता प्लान तैयार करना।
- प्लान में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, आई0सी0डी0एस0, वित्त आयोग की धनराशि का अनिवार्य रूप से समावेशन।
- ग्राम पंचायत में संचालित केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण।
- जेण्डर बजटिंग– आंगनबाडी केंद्रों, प्राथमिक विघालयों, सामुदायिक केन्द्रों में शौचालय एवं पेयजल निर्माण/ मरम्मत कार्य।
- वर्ष 2017–18 से मनरेगा के लेबर बजट तथा जीपीडीपी का अनिवार्य रूप से एकीकरण तथा वर्ष 2016–17 लेबर बजट को जीपीडीपी का भाग बनाया जाना।
- मनरेगा साफ्टवेयर एवं प्लान प्लस साफ्टवेयर का एकीकरण।
- ग्राम सचिवालय (सीएससी को पंचायत भवन में संचालित करना)।

5. **पर्यवेक्षण/निरीक्षण/अनुश्रवण–**

- योजना का नियमित पर्यवेक्षण/निरीक्षण/अनुश्रवण का प्राविधान।
- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अहम भूमिका
- प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक जिला स्तरीय अधिकारी को पर्यवेक्षण अधिकारी/नोडल अधिकारी नामित करना।
- प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में खण्ड स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाना।
- विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी द्वरा नोडल अधिकारी को बैठक के पश्चात रिपोर्ट/प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाना।
- मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा समय–समय पर विकास योजना के निर्माण की प्रगति का आंकलन व अनुश्रवण
- विकास खण्ड की 40 प्रतिशत ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजनाओं का निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा अवशेष 60 प्रतिशत ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजनाओं का निरीक्षण विकास खण्ड के अन्य सेक्टर अधिकारियों द्वारा किया जाना। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भी 25 प्रतिशत ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजनाओं का निरीक्षण किया जाना।
- जनपद की 10 प्रतिशत ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजनाओं का निरीक्षण जिला पंचायत राज अधिकारी, 25 प्रतिशत जिला टास्क फोर्स अधिकारी तथा 5 प्रतिशत ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजनाओं का निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा किया जाना।
- जिलाधिकारी द्वारा भी जनपद में भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजनाओं का निरीक्षण किया जायेगा।
- निदेशालय स्तर के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर ग्राम पंचायत विकास कार्ययोजनाओं का निरीक्षण किया जायेगा।

संख्या 789 /XII/2016–96(06)/2015

प्रेषक

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2016

विषयः– डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण हेतु वातावरण सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासन द्वारा निर्गत पूर्व निर्देशों के अनुसार माह अप्रैल व मई, 2016 में ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण हेतु ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाना है एवं दिनांक 31 मई, 2016 तक ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण सुनिश्चित किया जाना है, जिस हेतु सघन प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। तदोपरान्त् दिनांक 30 जून, 2016 तक ग्राम सभाओं द्वारा निर्मित योजना भारत सरकार के प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जानी है।

2– उक्त बैठकों के आयोजन से पूर्व ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण में वातावरण सृजन की अहम भूमिका होगी। अतः तत्काल प्रभाव से वातावरण सृजन हेतु निम्न कार्यवाही करने का कष्ट करें–

1– वातावरण सृजन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के वित्तीय संसाधन निर्धारित किया जाना है। रेखीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाएं एवं उनके संसाधन का निर्धारण कर ग्राम सभा वार उपलब्ध कराया जाना है।

2– वास्तविक रूप से ग्राम सभा के संसाधन निर्धारण हेतु यह आवश्यक है कि सभी विभागों के विकास खण्ड एवं ग्राम स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी सहभागिता कर प्रत्येक ग्राम सभा हेतु संसाधनों के निर्माण में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

3– ग्राम सभा की खुली बैठक से पूर्व प्रत्येक पंचायत स्तर पर विगत 5 वर्षों की प्राप्तियाँ व कार्यसूची तथा आगामी 4 वर्षों की सम्भावित प्राप्तियों की सूचना भी ग्राम सभा वार उपलब्ध करायी जाए।

4– 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि में से 10% धनराशि कण्टीजेन्सी मद हेतु निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग वातावरण सृजन हेतु किया जा सकता है। वर्तमान में इस अनुदान से ग्राम सभा के सरकारी/सार्वजनिक भवनों पर डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के सम्बन्ध में वाल पेण्टिंग करवायी जाए।

5– जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना की डॉक्युमेण्ट्री फिल्म का अधिक से अधिक प्रदर्शन ग्राम स्तर पर करवाया जाए।

6– निदेशालय स्तर से रेडियो जिंगल्स एवं बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से भी डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना का प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

7– आगामी एक पक्ष में प्रत्येक विकास खण्ड की कम से कम दो ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु मॉक एक्सरसाईज करवायी जाए। मॉक एक्सरसाईज के लिए ऐसा शैड्यूल निर्धारित किया जाए, जिसमें तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) के अधिकांश व्यक्तियों, विशेषतः प्रधानों एवं ग्राम स्तरीय समस्त कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

8– उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न कराते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सूचना निदेशालय को उपलब्ध करवाई जाए।

अतः उपरोक्त कार्यवाही सम्पादित करने हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः — (1)/XII/2016–96(06)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवायी हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
अनु सचिव

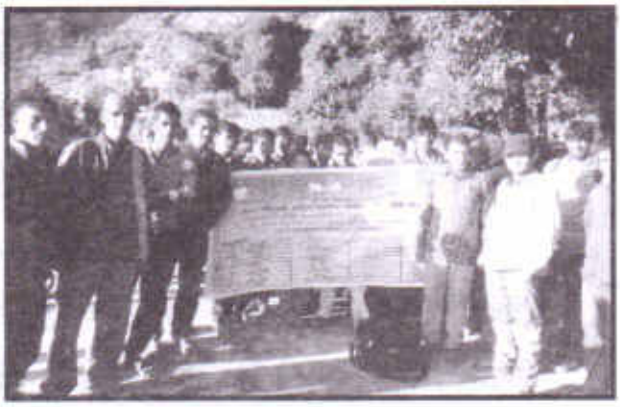

संख्या - 27 / निजी सचिव/अपर सचिव/2016-17

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1 दिनांक 24 / 02 / 2016

विषयः डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं कार्ययोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के दृष्टिगत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड सरकार ने इस योजना का नाम डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना रखा है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक के लिए 4 वर्षों का Perspective Plan (संदर्श योजना) एवं प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक योजना (जी0पी0डी0पी0) तैयार की जानी है, जिसके लिए शासन ने पत्र संख्या 395 दिनांक 16.02.2016 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

1– योजना में क्षमता विकास एवं वातावरण सृजन के लिए दिनांक 17.02.2016 को राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें विभिन्न प्रतिभागियों के अनुरोध पर जिला स्तरीय एवं क्लस्टर के स्तर पर निर्धारित तिथियों में निम्न प्रकार संशोधित तिथियां निर्धारित की गयी हैं:–

क्र.स.	प्रशिक्षण की तिथि	प्रस्तावित कार्यक्रम
1	19 फरवरी से 20 फरवरी, 2016	जिला स्तरीय प्रशिक्षण
2	21 फरवरी से 05 मार्च, 2016	क्लस्टर स्तरीय प्रशिक्षण
3	31 मार्च 2016 तक	वातावरण सृजन एवं परिस्थितयों का आकलन
4	31 मई 2016 तक	ग्रा0स0 की बैठकों का आयोजन (पर्सपेक्टिव प्लान, वार्षिक योजना)
5	30 जुन 2016 तक	प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में अपलोडिंग कार्य

2– जनपद स्तर पर दिनांक 19 एवं 20, फरवरी, 2016 को लगभग 1240 एवं विकास खण्ड स्तर पर गठित क्लस्टर पर दिनांक 21 फरवरी से 05 मार्च, 2016 तक 796 क्लस्टरों में तकनीकी सहायता समूह के 23801 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए।

3– योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय सशक्तीकरण समिति की बैठक दिनांक 19.02.2016 में लिए गए निर्णय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि जनपद स्तर के प्रशिक्षणों एवं क्लस्टर स्तर के प्रशिक्षणों में सभी सम्बन्धित रेखीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं क्लस्टर स्तर पर ग्राम स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी अवश्य भाग लें, ताकि सभी सम्बन्धित विभागों की सहभागिता हो सके। इस के अतिरिक्त ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में भी सम्बन्धित रेखीय विभागों के खण्ड स्तरीय/ग्राम स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे ताकि जी0पी0डी0पी0 में उन विभागों की योजनाओं का समावेश हो सके।

4– सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने जनपद के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला स्तर पर सभी रेखीय विभागों के जनपद स्तरीय/खण्ड स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे तथा क्लस्टर स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में सम्बन्धित रेखीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारी यथा ग्राम्य विकास, मनरेगा, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि, उद्यान, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकत्री,शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, जलागम, आईफैड,वन, पशुपालन, आजिविका,आदि अनिवार्य रूप से भाग लें।

5– प्रशिक्षण के उपरान्त ग्राम सभा की खुली बैठकों में भी सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अवश्यक रूप से भाग लेंगे। इसके लिए ससमय रोस्टर एवं एजेंडा तैयार कर लिया जाए तथा सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को बैठकों के रोस्टर एवं एजेंडे से अवगत करा दिया जाय। सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि अपनी ग्राम सभा की बैठक में अपने विभाग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं एवं समस्याओं को लेकर आवश्यक प्रत्यावेदन एवं सुझाव सहित उपस्थित रहेंगे एवं ग्राम पंचायत नियोजन योजना में अपने विभाग की ग्राम योजना का अंश सम्मिलित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

6– यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उपरोक्त प्रशिक्षणों एवं बैठकों में भाग नहीं लेता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है। साथ ही वार्षिक मूल्यांकन के वक्त इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनकी चरित्र प्रवृष्टि में अंकन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि आप अपने स्तर से अपने विभागीय अधिकारियों को तदानुसार निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें। समस्त जिलाधिकारियों से भी यह अनुरोध है कि वह जनपद स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना से सम्बन्धित संपूर्ण प्रक्रिया को सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव/
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त

संख्या– /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि–
1. निदेशक पंचायतीराज, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव/
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त

संख्याः — /XII(1)/2016-96(06)/2015-टी0सी0-प्र

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक : 12 अप्रैल, 2016

विषय : 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के कम में ग्राम पंचायतों को संकमित धनराशि के अन्तर्गत 10 प्रतिशत कन्टीजेन्सी के उपभोग/व्यय के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-G-39011/4/2015-FD दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के कम में ग्राम पंचायतों को संकमित धनराशि में अनुमन्य 10 प्रतिशत धनराशि कन्टीजेन्सी मद में अनुमन्य की गयी है। जिसके उपभोग/व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मदों/जारी निर्देशों के कम में निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या-1 जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में व्यवासियक मानव साधनों का संविदा के आधार पर रखे जाने का प्राविधान है। ग्राम पंचायतों को इस हेतु व्यय की स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि अधिकतर ग्राम पंचायतें पर्वतीय क्षेत्र में होने तथा इन पंचायतों में जनसंख्या न्यून होने के कारण इन पंचायतों को धनराशि न्यून मात्रा में प्राप्त हो रही है तथा इससे ग्राम पंचायत स्तर पर व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, किन्तु कार्यों के सम्पादन हेतु कलस्टर स्तर पर स्वीकृति दी जानी आवश्यक हों, तो इस संबंध में निदेशक, पंचायतीराज से यथा-प्रकिया स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
2. जिन ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख/प्रतिवर्ष हस्तान्तरित है, उनके द्वारा डेस्कटॉप कम्प्यूटर क्रय किया जा सकता है, परन्तु डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिण्टर एवं यू.पी.एस. की दर कुल धनराशि रू0 50,000.00 से अधिक व्यय नहीं की जायेगी। यह अनुमति मात्र एक बार के क्रय तक सीमित होगी। कलस्टर/न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर में सम्मिलित ग्राम पंचायतें यदि सहमत हों, तो आंकलन पर क्रय की अनुमति मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी। इसका उपयोग मात्र उन पंचायतों द्वारा किया जाएगा जिनके पास अपना पंचायत भवन उपलब्ध है। राज्य स्तर पर कय की दरें विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।
3. ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर कम्प्यूटर की उपलब्धता पर ही इण्टरनेट कनेक्टीविटी एवं आवर्ती व्यय हेतु ग्राम पंचायतों को स्वीकृति दी जायेगी, जिसमें कम्प्यूटर स्टेशनरी भी सम्मिलित होगी।
4. ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में फर्नीचर उपलब्धता के सत्यापन के उपरान्त केवल एक बार के लिए रू0 10,000.00 की सीमा तक योजना में एक बार व्यय अनुमन्य होगा। दरें विभाग द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
5. ग्राम पंचायत के कार्यालय अर्थात् पंचायत भवन परिसर में स्ट्रीट लाईट्स एवं जल आपूर्ति पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्राप्त धनराशि से व्यय की स्वीकृति दी जा सकती है, जिसमें संयोजन एवं बिल भुगतान सम्मिलित होंगी।
6. डाटा एण्ट्री पर व्यय के भुगतान हेतु स्वीकृति निर्धारित दरों पर अनुमन्य होगी। कोई व्यक्ति वेतन के आधार पर नहीं रखा जायेगा, इस संबंध में दरे जिला स्तर पर तय की जायेगी इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के लेखों को अद्यतन करने पर आने वाले व्यय (केवल एक बार के लिए) की स्वीकृति जनपद स्तर पर दी जा सकती है। दरें विभाग द्वारा तय की जायेगी।
7. चार्टेड अकाउण्टेण्ट द्वारा लेखा परीक्षा कराने पर आने वाले व्यय के भुगतान की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं दरें विभाग द्वारा तय की जाएंगी।

8. ग्राम पंचायतों को वर्ष में एक बार सोशल ऑडिट कराने पर आने वाले व्यय की अनुमति दी जा सकती हैं। इस हेतु प्रक्रिया एवं दरें जिला स्तर पर तय की जायेगी। सोशल ऑडिट व्यय का अंश मनरेगा, आई.ए.वाई. के प्रशासनिक व्यय से भी देय होगी।
9. कर्मचारियों को क्षमता विकास इन मदों से किए जाने की अनुमति नहीं होगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों के क्षमता विकास की अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों को इस पर निर्णय लेने हेतु निदेशक, पंचायती राज को अधिकृत किया जाता है।
10. जिला पंचायतराज अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग एवं ऑडिट के कार्यों हेतु स्वीकृत कुल धनराशि की 0.5 प्रतिशत धनराशि प्राप्त कर, निदेशालय को प्रेषित करेंगे।
11. प्रोजेक्ट के तकनीकी प्लान बनाने एवं उसके क्रियान्वयन पर आने वाले व्यय जैसे कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एव पेयजल इत्यादि पर एजेन्सी एवं कार्य का प्रकार विभाग द्वारा तय किया जायेगा।
12. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण पर आने वाली लागत तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के कार्यालय अर्थात पंचायत भवन/सार्वजनिक भवन/सरकारी भवन पर इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए आई0ई0सी0 के अन्तर्गत वॉल पेन्टिंग/पोस्टर/बैनर इत्यादि का कार्यों पर व्यय की स्वीकृति 10 प्रतिशत कण्टेजेंसी से दी जा सकती है। व्यय सीमा अधिकतम रु0 5,000.00 प्रति वर्ष होगी।
13. पंचायत भवन की उपलब्धता पर पंचायत भवन में विद्युतीकरण, जिसमें सोलर लाईट आदि भी सम्मिलित है, व्यय की स्वीकृति दी जा सकती है।
14. प्रत्येक ग्राम पंचायत को वर्ष में एक बार के लिए स्टेशनरी पर व्यय हेतु रु0 5,000.00 तक की ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंत्राक संख्याः 512/XXVII/2016, दिनाक 07 अप्रैल, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 391 (1)/XII(1) /2016- 96(06)/2015-टी0सी0-II तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2-सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4- महालेखाकार उत्तराखण्ड।
5-अपर सचिव वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।
6-निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10-समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
11-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12-समस्त संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
13- समस्त जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
14-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)
अपर सचिव।

जी.पी.डी.पी. निर्माण हेतु बैठकें एवं चर्चाएं

निदेशालय पंचायतीराज, (उत्तराखण्ड) डाण्डालखौण्ड
नियर आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
दूरभाषः 0135–2607855,2607106,2607107,2607108
ई–मेल : director.pr.uk@gmail.com वेबसाईट : www.ukpr.gov.in

आदर्श: 9897679443